उत्तराखण्ड शासन
वित्त आडिट प्रकोष्ठ
पत्र संख्याः 58/XXVII(11)/2016
देहरादूनः दिनांकः 20 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

विषयः—उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 के क्रियान्यवयन के अधीन आडिट विभाग द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा आपत्तियों के अन्तिमीकरण/नस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य निर्देष।

निदेशालय लेखा परीक्षा (आडिट) द्वारा विभिन्न विभागों की आन्तरिक लेखा परीक्षा, ग्रामीण एंव शहरी स्थानीय निकायों, अन्य स्थानीय निकायों व विशेष सम्परीक्षाओं की लेखा परीक्षा आपत्तियों के परिपालन/निस्तारण हेतु उत्तर/आख्या के प्राप्त होने के उपरान्त आपत्तियों के अन्तिमीकरण/नस्तीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है:—

क. आडिट दल द्वारा लेखा परीक्षा के समय रफ नोट निर्गत किये जायेंगे। रफ नोट जिन पर सन्तोषप्रद उत्तर (साक्ष्य/सहायक अभिलेख सहित) उपलब्ध कराये जायें, उन आपत्तियों पर आडिट दल द्वारा अपने स्तर पर निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। रफ नोट में निस्तारित आपत्तियों का विवरण साक्ष्य सहित निदेशालय, लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चत किया जायेगा।

ख. रफ नोट में जो आपत्तियां अनिस्तारित है, उन आपत्तियों को निस्तारित न किये जाने के कारण भी स्पष्ट किये जायेंगे।

ग. कार्यालय ज्ञाप सं: 19/XXxii(11)2016 दिनांकः 02 मई, 2016 के अनुसार गठित समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समयान्तर्गत निर्गत किये जायं।

घ. शासन/निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आडिटी विभाग/संस्था द्वारा निम्नवत् प्रारूप में अनुपालन आख्या निदेशालय लेखा परीक्षा एवं वित्त आडिट प्रकोष्ठ को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रत्येक लेखा परीक्षा आपत्ति बॉयी ओर लिखी जायेगी एवं दॉयी ओर आडिटी विभाग/संस्था द्वारा किये गये अनुपालन आख्या (साक्ष्य/सहायक अभिलेख सहित) प्रस्तुत की जाय ।

क0स0	लेखा परीक्षा आपत्ति	विभाग द्वारा टिप्पणी/अनुपालन

ङ. आडिटी द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन विभागीय लेखा परीक्षा उपसमिति को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति द्वारा प्रत्येक माह आन्तरिक लेखा परीक्षा में उठाई गई आपत्तियों एवं उस पर की गयी कृत कार्यवाही पर समीक्षा की जायेगी। विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति द्वारा निदेशालय लेखा परीक्षा एवं वित्त आडिट प्रकोष्ठ को अपने स्तर पर की गयी कृत कार्यवाही से भी सूचित जायेगा।

च. श्रेणी 'ए' से सम्बन्धित विभागों, संस्थाओ, विशेष सम्परीक्षा से सम्बन्धित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारीकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निम्नलिखित समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1	अपर सचिव, वित्त (वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ) उत्तराखण्ड शासन।
2	सयुक्त सचिव, वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, निदेशालय, लेखा परीक्षा, देहरादून
4	सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी
5	आडिट आफिसर, वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा

शासन स्तर पर उपरोक्तानुसार गठित समिति आपत्ति निस्तारण हेतु तथ्यों पर विचार करते हुए अभिमत एवं संस्तुति प्रमुख सचिव/सचिव वित्त को प्रषित करेगी। तद्परान्त प्रमुख सचिव/सचिव वित्त द्वारा आपत्ति निस्तारण पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

छ. श्रेणी 'बी' एवं 'सी' के विभाग एवं संस्थाओं से संबन्धित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारीकरण के संबन्ध में आडिटी द्वारा अनुपालन आख्या/विभागाध्यक्षीय लेखा परीक्षा उपसमिति के कार्यवृत्त पर निदेशालय स्तर पर गठित समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1	अपर निदेशक, निदेशालय, लेखा परीक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, निदेशालय, लेखा परीक्षा, देहरादून
3	उप निदेशक, निदेशालय, लेखा परीक्षा ।
4	सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी
5	आडिट आफिसर, निदेशालय, लेखा परीक्षा, देहरादून द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

निदेशालय स्तर पर उपरोक्तानुसार गठित समिति आपत्ति निस्तारण हेतु तथ्यों पर विचार करते हुए अभिमत एवं संस्तुति निदेशक को प्रेषित करेगी। तद्परान्त निदेशक द्वारा आपत्ति निस्तारण पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

ज. अनिस्तारित आपत्तियां एवं सरकारी धन के दुरूपयोग, गबन जालसाजी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य स्तरीय लेखा परीक्षा समिति/विभागीय लेखा परीक्षा समिति विचार करेगी एवं प्रशासकीय विभाग दुर्विनियोग, गबन, जालसाजी अपने स्तर पर जांच करते हुए कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत करायेगी। विभागीय लेखा परीक्षा समिति/राज्य

स्तरीय लेखा परीक्षा समिति की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं कृत कार्यवाही उपरान्त स्थिति का विवरण विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

झ. उत्तराखण्ड आडिट मैनुअल 2011 में प्रारूप संख्याः 06 के अनुसार निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा प्रत्येक विभाग/संस्था की लेखा परीक्षा आपत्तियों हेतु पृथक–पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किये जायं। निदेशक, लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा आपत्तियों के लिए निर्मित रजिस्टर एवं आपत्तियों के निस्तारण हेतु अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा यह रजिस्टर प्रत्येक माह (द्वितीय सप्ताह तक) सत्यापित किया जायेगा।

विभाग/संस्था का नाम और पूरा डाक पता समाधानित लेखा परीक्षा प्रस्तर									
क्र स	लेखा परीक्षित लेखा की अवधि	लेखा परीक्षा की तिथियां	पत्र संख्या एवं तिथि तहत प्रतिवेदन जारी किया गया	कुल लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	आपत्ति निस्तारण का का माह	कुल लेखा परीक्षा आपत्ति निस्तारित की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	विशेष लेखा परीक्षा आपत्तियों का प्रतिवेदन वार ब्यौरा	अभ्युक्ति

निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों में आपत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक माह प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त को निम्न प्रारूप में यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र. स०	विभाग/संस्था का नाम	कुल आपत्तियों की संख्या	विगत माहों में निस्तारित आपत्तियों की संख्या	वर्तमान माह में निस्तारित आपत्तियों की संख्या	वर्ष में कुल निस्तारित आपत्तियों की संख्या	अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या	अभ्युक्ति

कृपया उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अमित नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या–50 /xxvii(11)/2016 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, लेखा परीक्षा, देहरादून।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त।